E-ISSN: 2706-8927
P-ISSN: 2706-8919
www.allstudyjournal.com
IJAAS 2022; 4(1): 353-355
Received: 14-12-2021
Accepted: 17-01-2022

राजकुमार कुशवाहा
शोध छात्र (भूगोल), शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा, मध्य प्रदेश, भारत

डॉ. सुशीला द्विवेदी
सहायक प्राध्यापक भूगोल, शासकीय महाविद्यालय रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा, मध्य प्रदेश, भारत

Corresponding Author:
राजकुमार कुशवाहा
शोध छात्र (भूगोल), शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा, मध्य प्रदेश, भारत

बाणसागर परियोजना : रीवा जिले में भूमि उपयोग का भौगोलिक अध्ययन

राजकुमार कुशवाहा, डॉ. सुशीला द्विवेदी

सारांश
किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के पर्यावरण और पारितन्त्रीय संतुलन में भूमि उपयोग की काफ़ी भूमिका होती है। प्राकृतिक पर्यावरण के भूदृश्य वर्तमान समय के मानुष आक्रांत भूदृश्यों से बहुत अलग हुआ करते थे। मनुष्य ने प्राकृतिक पर्यावरण और पारितंत्रों को तकनीकी और वैज्ञानिक ज्ञान द्वारा बदल कर नव्य पारितंत्रों की स्थापना की है। इन परिवर्तनों में भूमि उपयोग में परिवर्तन सबसे व्यापक और प्रत्यक्ष रूप से परिलक्षित होने वाले हैं। भूमि उपयोग का महत्वपूर्ण वर्ग होता है जिसके द्वारा कृषि व्यवस्था को भली भांति समझा जा सकता है। पिछड़े क्षेत्रों में जहॉ आज भी कृषि अवैज्ञानिक तथा प्राचीन विधियों द्वारा की जाती है तथा भूमि का संरक्षण नहीं किया जाता है। जिले में चारागाहों का पर्याप्त विकास हुआ है। वर्तमान 2018–19 में चारागाहें का कुल क्षेत्रफल 26299 हेक्टेयर है जो कि वर्ष 2011–12 में 26879 हेक्टेयर था इस प्रकार पिछले वर्षो की अपेक्षा चारागाहों के क्षेत्र में थोड़ा कमी आई है परन्तु जिले के कई विकासखण्डो तहसीलों में चारागाह का उत्तम विकास भी हुआ है। जिले में स्पष्ट रूप से पिछले वर्षो की तुलना में चारागाह के क्षेत्रों में स्पष्ट अन्तर दिखाई पड़ता है और यह अन्तर बाणसागर परियोजना के जिले में सिंचाई विस्तार के कारण संभव हुआ हैं।

मुख्यशब्दः बाणसागर परियोजना, भूमि उपयोग, चारागाह, कृषि, भौगोलिक अध्ययन

प्रस्तावना
बाणसागर परियोजना मध्यप्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थिति रीवा जिले से 50 कि0मी0 दूर वर्तमान शहडोल सम्भाग की व्यौहारी तहसील के देवलौंद गांव में स्थित है। यह क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा आर्थिक दृष्टि से काफी पिछड़ा भाग है। जिसके लिए ऐसी परियोजना की आवष्यकता पड़ी। यह क्षेत्र मध्य भारत के उच्च भाग का ही एक अंश है। यह कृषि प्रधान क्षेत्र है, परन्तु यहॉ धरातल पठारी तथा मिट्टी लेटेराइट प्रकार की है। यहां सिंचाई के अभाव के कारण यह क्षेत्र अनुर्वरक था वर्षा की अनियमितता एवं अनिश्चितता यहां की प्रमुख विशेषता है। टोन्स बेसिन में स्थित रीवा, सतना जिले में प्रत्येक तीसरे वर्ष सूखा तथा प्रति दशक में अकाल पड़ता था तथा अनावृष्टि की भी संभावना बनी रहती थी। कभी–कभी अतिवृष्टि का भी प्रकोप होता था इसीलिए इस परियोजना के माध्यम से आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा का विस्तार कर कृषि व्यवस्था के विकास को प्रथम महत्व दिया गया इस परिप्रेक्ष्य में यह परियोजना वरदान सिद्ध होगी।
परियोजना द्वारा सोन नदी के जल को टोन्स नदी में गिराकर जल विद्युत एवं सिंचाई की आपूर्ति की जा रही है।
कृषि के अलावा औद्योगिक दृष्टि से यह क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है। इस क्षेत्र में खनिज सम्पदा एवं वनस्पति के प्रचुर भंडार हैं किन्तु षक्ति के साधनों की कमी विशेषकर विद्युत शक्ति की तथा परिवहन के साधनों का भी विकास कम हुआ है जिससें यहॉ अधिक औद्योगिकरण नहीं हो पाया है। यह परियोजना न केवल औद्योगिक ऊर्जा की ही पूर्ति करती है बल्कि अन्य समीपवर्ती राज्यों को भी विद्युत की आपूर्ति करती हैं।
इस परियोजना से सिंचाई की सुविधा तथा विद्युत की आपूर्ति से यह क्षेत्र आर्थिक दृष्टि सम्पन्न हो सकेगा तथा यहां के लोगों के जीवन स्तर में भी प्रगति होगी। इससे साथ ही कई सहायक विकास कार्यो का भी उद्भव होगा। सिंचाई की सुविधा से कृषि उत्पादन बढ़ेगा, जलस्तर में भी वृद्धि होगी तथा पीने योग्य पानी की सुविधा में भी सुधार होगा। विगत कई वर्षो इस क्षेत्र में जलस्तर काफी नीचे पहुॅच जाने के कारण ग्रीष्म ऋतु में यहॉ पेय जल के संकट का सामना करना पड़ता था इससे इस समस्या का समाधान हो जायेगा। रीवा संभाग के दो प्रमुख जिलों रीवा तथा सतना की आबादी 23 लाख तक पहुॅच गई है। जिससे पीने युक्त पानी की अधिक समस्या हो रही है इस परियोजना से इन जिलों को जल की आपूर्ति संभव हैं। इसके अलावा परियोजना से मत्स्योत्पादन का विकास करके न केवल स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है बल्कि राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि की जा सकती हैं।

शोध विधि

अनुसंधान में अध्ययन विषय से संबंधित तथ्यों एवं सूचनाओं को संकलित करके निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता होती है। तथ्यों एवं सूचनाओं के संकलन की अनेक विधियां होती है, जो अध्ययन किये जाने वाले विषय की प्रकृति के अनुसार निर्धारित की जाती है। प्राथमिक सूचना स्त्रोत के अन्तर्गत अनुसंधानकर्ता सामाजिक, भौगोलिक एवं आर्थिक घटनाओं का निरीक्षण करके तथा उससे संबंधित व्यक्तियों से मिलकर सूचना प्राप्त करता है। द्वितीय सूचना स्त्रोत के अन्तर्गत अनुसंधानकर्ता लिखित प्रलेखो द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सूचनायें एकत्रित करता है।

प्रस्तुत शोध कार्य बाणसागर परियोजना : भूमि उपयोग का भौगोलिक अध्ययन निदर्शन विधि द्वारा चयनित क्षेत्रों के आदर्श मूलक सर्वेक्षण कार्य द्वारा प्राथमिक आंकड़ों को प्राप्त किया गया है। द्वितीयक आकड़ें सम्बन्धित शासकीय कार्यालयों से प्राप्त कर विश्लेषण द्वारा निष्कर्ष प्राप्त किये गये है।

भूमि उपयोग

भूमि किसी भी राष्ट्र की मौलिक सम्पत्ति है एवं इसकी मात्रा निश्चित तथा सीमित है। जिसके कारण इसका अत्यधिक महत्व हो जाता है। इससे साथ ही साथ यह समस्त जीवधारियों के जीवन का आधार भी हैं। भूमि के बिना मनुष्य या अन्य जीवधारी अपना अस्तित्व नहीं रख सकते हैं। भूमि की मात्रा सीमित होने के कारण उत्पादन में वृद्धि करने के लिए हमें वैज्ञानिक तथा तकनीकी विधियों का प्रयोग करना अति आवश्यक हो जाता है। चूँकि भूमि कृषि उत्पादन का आधार है इसलिए वर्तमान आर्थिक विकास की भांति इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यदि किसी स्थान की भूमि उपजाऊ है व इससे साथ–साथ उसका उत्पादन कार्य में ठीक उपयोग हो रहा हैं। तो उस स्थान का आर्थिक विकास अधिक होगा ठीक इसके विपरीत उस स्थान का आर्थिक विकास उतना नहीं होगा। जहॉ पर भूमि कम उपजाऊ तथा उसका उत्पादन कार्य में सही ढंग से उपयोग नहीं किया जा रहा हैं।

योजना आयोग के अनुसार भूमि देश की सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पत्ति है और यह कृषि उत्पादन का आधार भी है। भूमि उपयोग का प्रमुख उद्देश्य किसी क्षेत्र के भूमि संसाधनों के आदर्ष भूमि की एक ऐसी रूपरेखा प्रस्तुत करना होता है जिससे उस क्षेत्र की प्रति हेक्टेयर भूमि का अधिकतम उपयोग राष्ट्रहित में हो सके और भूमि का कोई भी भाग बेकार न पड़ा रहे। भूमि का उपयोग खाद्यानों की कृषि, उद्योगों की स्थापना, चारागाह और वन, निवास या आवास आवागमन आदि के लिए किया जाता है। प्रथम भूमि उपयोग सर्वेक्षण ग्रेट ब्रिटेन में सन 1930 ई0 में डडले स्टाम्प महोदय द्वारा किया गया था। भारत में भूमि उपयोग से संबंधित मामले भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग के अन्तर्गत आता है। राष्ट्रीय स्तर पर भूमि उपयोग से संबंधित सर्वेक्षण का कार्य नागपुर स्थित राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो नामक संस्था करती हैं।

भारत ने पहली बार भूमि उपयोग नीति प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा सन 1988 में बनायी गई।

भूमि उपयोग प्रतिरूप के आधार पर जिले की भूमि को निम्न वर्गो में बांटा जा सकता हैं–

- (अ) कृषि योग्य भूमि
- (ब) चारागाह, बाग और बगीचे
- (स) वन
- (द) आकृशिगत भूमि – इसको पुनः तीन उपवर्गों में बांटा जा सकता है–

1. कृषि के लिये अयोग्य भूमि– इसको हम पुनः 3 भागों में बांट सकते हैं।
   - जल एवं तालाव से ढ़के हुए क्षेत्र जैसे– नदियॉ, तालाब, नहरें।
   - सड़के, रेलवे इत्यादि।
   - आदिवासी तथा चट्टानी बेकार खेतों के अन्तर्गत आने वाली भूमि।

2. कृषि योग्य बेकार भूमि– इस भूमि को पुनः 3 वर्गों में बांटा जा सकता है।
   - झाड़ीदार वन
   - बाग तथा बगीचे
   - पड़ती क्षेत्र, नई पड़ती, पुरानी पड़ती

3. कृषि योग्य भूमि – इसको पुनः 3 वर्गों में बांटा जा सकता हैं।
   - उत्तम किस्म की भूमि
   - मध्यम किस्म की भूमि
   - निम्न किस्म की भूमि

भूमि उपयोग का स्थानिक प्रारूप

कृषि योग्य भूमि– यह भूमि उपयोग का महत्वपूर्ण वर्ग होता है जिसके द्वारा कृषि व्यवस्था को भली भांति समझा जा सकता है। पिछड़े क्षेत्रों में जहॉ आज भी कृषि अवैज्ञानिक तथा प्राचीन विधियों द्वारा की जाती है तथा भूमि का संरक्षण नहीं किया जाता है। इसके निम्नलिखित उपवर्ग है–

1. तुरन्त कृषि योग्य भूमि
2. कुछ सुधार के पश्चात कृषि योग्य भूमि

चारागाह, बाग और बगीचे

इस प्रकार की भूमि उपयोग में वर्षा ऋतु के समय घास उग आती है। जिससे पशुओं को पेट भर भोजन उपलब्ध हो जाता है। लेकिन वर्षा के पश्चात् पुनः यह घास सूख जाती है जिससे इन चारागाहों को स्थाई चारागाह नहीं कहते है। घास मिट्टी को ह्यूमस प्रदान करती है। जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हो जाती है। जिले में कृषि प्रमुख उद्यम होने के कारण कृषि से भी पशुओं को पेट भर भोजन प्राप्त हो जाता है। इसलिए कृषि विकास पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता है और इसके कारण चारागाहों की संख्या में निरन्तर कमी आती जा रही है।

सारणी क्र. 1: रीवा जिले में चारागाह का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

जिला/तहसील/विकासखण्ड	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)		कुल प्रतिशत	
	2018–19	2011–12	2018–19	2011–12
हुजूर	3040	789	11.6	2.9
रायपुर कर्चु0	1038	120	3.9	0.4
सिरमौर	2984	3439	11.3	12.7
मनगवां	2843	1521	10.8	5.6
मऊगंज	1149	1688	4.4	6.2
नईगढ़ी	624	558	2.4	2.0

हनुमना	5172	3483	19.7	12.9
जवा	5313	4620	20.2	17.1
त्योंथर	4136	5909	15.7	21.9
सेमरिया		4024		14.9
गुढ़		720		2.6
योग	26299	26879	100	99.2

स्त्रोतः भू–अभिलेख रीवा (म0प्र0)

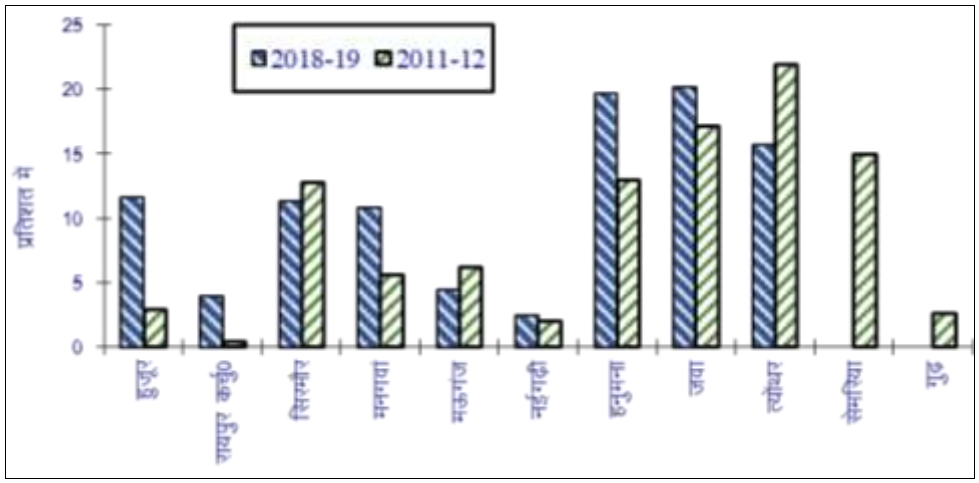

आरेख क्र. 1: रीवा जिले में चारागाह का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) का आरेखीय निरूपण

निष्कर्ष

भूमि उपयोग का महत्वपूर्ण वर्ग होता है जिसके द्वारा कृषि व्यवस्था को भली भांति समझा जा सकता है। पिछड़े क्षेत्रों में जहॉ आज भी कृषि अवैज्ञानिक तथा प्राचीन विधियों द्वारा की जाती है तथा भूमि का संरक्षण नहीं किया जाता है।

जिले में चारागाहों का पर्याप्त विकास हुआ है। वर्तमान 2018–19 में चारागाहें का कुल क्षेत्रफल 26299 हेक्टेयर है जो कि वर्ष 2011–12 में 26879 हेक्टेयर था इस प्रकार पिछले वर्षो की अपेक्षा चारागाहों के क्षेत्र में थोड़ा कमी आई है परन्तु जिले के कई विकासखण्डो तहसीलों में चारागाह का उत्तम विकास भी हुआ है। वर्तमान में सबसे अधिक चारागाह का क्षेत्र जवा विकासखण्ड तहसील में 5313 हेक्टेयर है जो कि वर्श 2011–12 में 4620 हेक्टेयर था इसी प्रकार दूसरे स्थान पर हनुमना तहसील में 5172 हेक्टेयर है। इसके पश्चात् अन्य विकासखण्डो तहसीलों में चारागाह का क्षेत्र घटते क्रम में पाया जाता है।

जिले में सबसे कम चारागाहों का विकास नईगढ़ी में 624 हेक्टेयर है जो इस प्रकार नईगढ़ी में चारागाह के क्षेत्र में थोड़ा वृद्धि हुई है जो कि 1.1 प्रतिशत के लगभग है। इसी प्रकार दूसरे स्थन पर रायपुर कर्चुलियान तहसील है जिसमें 1038 हेक्टेयर क्षेत्र में चारागाह क्षेत्र पाया जाता है, जो कि 2011–12 में 840 हेक्टेयर था इस प्रकार जिले में भले ही कुल चारागाह क्षेत्र में थोड़ा कमी आयी हो परन्तु जिले के विकासखण्ड तहसीलों में चारागाह के क्षेत्रों का विकास हुआ है। कही पर चारागाहों में वृद्धि हुई है तो कहीं पर चारागाहों के क्षेत्र में कमी भी आयी है। इस प्रकार जिले में स्पष्ट रूप से पिछले वर्षो की तुलना में चारागाह के क्षेत्रों में स्पष्ट अन्तर दिखाई पड़ता है और यह अन्तर बाणसागर परियोजना के जिले में सिंचाई विस्तार के कारण संभव हुआ हैं।

संदर्भ

1. कुमारी, प्रमिला – म.प्र. एक भौगोलिक अध्ययन म.प्र. हिन्दी अकादमी भोपाल 1952.
2. सिंह, निशान्त – पर्यावरण और जल प्रदूशण सन्मार्ग प्रकाशन दिल्ली 2000 पृ. 27.
3. शर्मा, विष्णुदत्त – पर्यावरणीय प्रदूशण, आर्य प्रकाशन मंडल, गांधी नगर दिल्ली, 1991 पृ. 40.
4. तिवारी, सी.पी. एवं पाण्डेय, एस.पी. – ग्रामीण विकास में तालाब का योगदान : गौरव प्रकाशन, रीवा – 2007
5. चतुर्वेदी, रामप्रकाश – पर्यावरण प्रदूषण एवं प्रबंधन, रीवा पठार के सन्दर्भ में एक भौगोलिक अध्ययन (अप्रकाशित प्रबंध) अ.प्र.सिंह वि.वि. रीवा 1996.
6. तिवारी, कृश्ण कुमार – रीवा पठार का भूऐतिहासिक अध्ययन, (अप्रकाशित शोध ग्रंथ) अ.प्र.सिंह वि.वि. रीवा म.प्र. 2001.
7. तिवारी, भाष्कर प्रसाद – रीवा जिले में जल प्रदूषण जनित बीमारियों का भौगोलिक अध्ययन (अ.प्र. शोध प्रबन्ध) अ.प्र.सिं. वि.वि. रीवा–2006